न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 09/2020 (राजसमन्द आर्डर)

रणसिंह पिता डूल्हेसिंह जी, जाति देवड़ा राजपूत, निवासी चतरपुरा, सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी जयसिंह जी पुत्री डूल्हेसिंह जी राजपूत, निवासी माण्डावाडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती ओसिया कुंवर पत्नी ईश्वरसिंह जी पुत्री डूल्हेसिंह जी राजपूत, निवासी माण्डावाडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सोहन कुंवर पत्नी भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी चतरपुरा, सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, आमेट दिनांक
27.08.2020 प्रकरण सं. 14/2020

———/———

उपस्थित :– 1. श्री नारायणसिंह छापरवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री धनसिंह झाला राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 16–04–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कालेसरिया, तहसील आमेट में आराजी नंबर 15, 73 से 78 व 80 कुल किता 6 रकबा 2.1500 हैक्टर भूमि स्थित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:48 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा अंकित होकर सहखातेदारी की भूमि है एवं पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि विपक्षीगण अजनवी व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा हैं, जबकि अभी भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

2. विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजीयात का मौके पर बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार कमा खा रहे हैं। विपक्षीगण को काननून अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय हस्तान्तरण करने का अधिकार है। प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में विपक्षीगण की भूमि हड़पना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–08–2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल छापरवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर उसका अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना विधिवत विभाजन कराये रेस्पोन्डेन्टगण को किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। यदि भूमि का बिना विभाजन विक्रय किया जाता है तो इससे और अधिक विवाद बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:48 IST
Reason: SelfAttested

कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण के रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड एवं स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के सहखातेदारी की होकर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलान्ट ने सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है, जबकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है तथा एक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय हस्तान्तरण करने अथवा उपयोग–उपभोग करने से पाबन्द किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मन होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–08–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:48 IST
Reason: SelfAttested